इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133]　　भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 मार्च 2013—चैत्र 4, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. बी-4-07-2013-2-पांच (06).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, किसी ऐसी स्थावर संपत्ति के विक्रय से संबंधित करार की लिखत पर, जिसके द्वारा संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया हो, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (दो) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की राशि एक हजार रुपये निर्धारित करती है.

2. यह आदेश 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. बी-4-07-2013-2-पांच (06).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ बी-4-07-2013-2-पांच (06), दिनांक 25 मार्च, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th March 2013

No. F-B-4-07-2013-2-V-(06).—Section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, fixes the amount of stamp duty chargeable under sub-clause (ii) of clause (e) of article 5 of Schedule 1-A of the said Act on an instrument of agreement relating to sale of immovable property by which possession of property has not been given to rupees one thousand.

2. This order shall come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. बी-4-07-2013-2-पांच (07).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 के अधीन आड़मान से संबंधित करार की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर निम्नानुसार निर्धारित करती है:—

(एक)	जहां प्रतिभूत रकम एक लाख रुपये से अधिक न हो.	:	एक सौ रुपये
(दो)	जहां प्रतिभूत रकम एक लाख रुपये से अधिक हो.	:	अधिकतम दो लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का 0.25 प्रतिशत.

2. यह आदेश 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. बी-4-07-2013-2-पांच (07).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ-बी-4-07-2013-2-पांच (07), दिनांक 25 मार्च, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th March 2013

No. F-B-4-07-2013-2-V-(07).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, fixes the rate of stamp duty chargeable under article 6 of Schedule 1-A of the said Act on instrument of agreement relating to hypothecation as under:—

(i)	Where the amount secured does not exceed rupees one lakh	:	One hundred rupees.
(ii)	Where the amount secured exceeds rupees one lakh	:	0.25 percent of the amount secured, subject to a maximum of two lakh rupees.

2. This order shall come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.